# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 6068/2022

गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

----प्रतिवादी

## के साथ जुड़ा हुआ है

एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या - 6665/2022, 6069/2022, 6089/2022, 6119/2022, 6126/2022, 6145/2022, 6176/2022, 6180/2022, 6183/2022, 6203/2022, 6349/2022, 6613/2022, 7676/2022, 7717/2022, 9364/2022 और 9625/2022

| | |
|---|---|
| याचिकाकर्ता (गण) के लिए: | श्री के. वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | श्री निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | श्री विकास बालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | (द्वारा सहायता प्राप्त) |
| | श्री रवि मालू |
| | श्री अभिषेक मेहता |
| | सुश्री चारू माथुर |
| | सुश्री तन्वी दुबे |
| | श्री अखिलेश राजपुरोहित |
| | श्री हेमंत दत्त |
| उत्तरदाता(गण) के लिए: | श्री मनीष व्यास, एएजी |
| | श्री मुकेश राजपुरोहित, एएजी |
| | श्री दीपेश बेनीवाल |
| | श्री उत्तम सिंह |
| | श्री आर. एस. सलूजा |

श्री महेंद्र विश्नोई

श्री हर्ष चित्तोरा

**माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा**

**<u>निर्णय</u>**

***18/01/2024**

1. यहां न्यायिक समीक्षा के तहत मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) के कार्य और निर्देश हैं, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की समग्र देखरेख में स्थापित एक स्वायत्त बोर्ड है, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत नियामक शक्तियों का प्रयोग करता है। एम. ए. आर. बी. ने बुनियादी ढांचे और संकाय आदि में कथित कमी के कारण चार निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक (यू. जी.) और स्नातकोत्तर (पी. जी.) पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश को रद्द कर दिया, जो सभी प्रभावित छात्रों के साथ इस अदालत के समक्ष हैं। एम. ए. आर. बी. और एन. एम. सी. चिकित्सा शिक्षा में कदाचार को विनियमित करने और समाप्त करने में महत्वपूर्ण हैं। भारत में मेडिकल कॉलेजों का निजीकरण अवसर और चुनौती दोनों लेकर आया है। हालांकि इसने मार्गों का विस्तार करके चिकित्सा विज्ञान में शैक्षिक परिदृश्य को बदल दिया है, लेकिन इस सकारात्मक बदलाव के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर लाभ को प्राथमिकता देने वाले बेईमान संस्थानों का भी उदय हुआ है। ये संस्थान अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों के साथ काम करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी की छाया में फलते-फूलते हैं। ऐसी कमियों के परिणाम अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों ("अधूरे और खराब गुणवत्ता वाले डॉक्टर ") के उत्पादन के कारण आम नागरिकों/सार्वजनिक स्वास्थ्य के जीवन के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। एम. ए. आर. बी. और एन. एम. सी. नियामक अभिभावक हैं जिन्हें चिकित्सा शिक्षा में उच्च मानक सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है, जो इच्छुक चिकित्सकों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे संस्थानों का अनियंत्रित विकास छात्रों के सपनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। चिकित्सा शिक्षा की अधाराता को बनाए रखने और छात्रों की आकांक्षाओं की रक्षा के लिए एम. ए. आर. बी. और एन. एम. सी. द्वारा सतर्कता और सक्रिय उपाय आवश्यक हैं।

1.1. साथ ही, यह ध्यान रखना चाहिए कि मौजूदा संस्थानों के लिए अनुमतियों का अनुदान/नवीनीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने

की आवश्यकता है। नियामक निकायों को पिछले वर्षों में संचालित मेडिकल कॉलेजों के लिए अनुमतियों के नवीनीकरण के आसपास की जटिलताओं पर ध्यान देना चाहिए और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सैकड़ों छात्रों को दाखिला देने वाले ये संस्थान स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अचानक इनकार से बचने और ढांचागत और संकाय आवश्यकताओं की क्रमिक पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष और व्यवस्थित दृष्टिकोण अनिवार्य है। याचिकाकर्ता चिकित्सा महाविद्यालय मौजूदा चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान हैं जो काफी समय से चिकित्सा क्षेत्र में छात्रों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

2. इस न्यायालय के समक्ष पीड़ितों के दो समूह, अर्थात्, एम. ए. आर. बी. के नियामक निर्देशों का पालन करने वाले संस्थान/चिकित्सा महाविद्यालय और; इसके परिणामस्वरूप, छात्र सीधे तौर पर पीड़ित होंगे क्योंकि यदि इसे लागू किया जाता है तो इसका अंतिम खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। छात्र इस न्यायालय के समक्ष आरोप लगा रहे हैं कि उनकी ओर से कोई गलती नहीं होने के कारण उन्हें प्रतिवादी एन. ई. ई. टी. द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उनकी योग्यता के अनुसार पहले से ही आवंटित मेडिकल कॉलेजों में अपने बहुमूल्य कैरियर के वर्षों को बर्बाद करने की कठिनाई से गुजरना पड़ता है।

2.1. चार मेडिकल कॉलेजों और उनके छात्रों ने मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एम. ए. आर. बी.) द्वारा पारित 14.04.2022 और 18.04.2022 दिनांकित आदेशों की आलोचना की  है, जिसके अनुसार उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए उक्त कॉलेजों में स्नातक (यू. जी.) और स्नातकोत्तर (पी. जी.) पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति पत्र (एल. ओ. पी.) वापस ले लिया है। नतीजतन, इसने बुनियादी ढांचे और संकाय आदि में कथित कमी के कारण उन कॉलेजों में छात्रों को दिए गए प्रवेश को भी रद्द कर दिया। इसके अलावा, एम. ए. आर. बी. द्वारा एन. एम. सी. को विवादित आदेश पारित होने की तारीख से चिकित्सा संस्थानों को दी गई मान्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई है। तत्काल संदर्भ के लिए, उपरोक्त प्रत्येक याचिका में छात्रों की वर्तमान स्थिति के संबंध में मांगी गई राहत को संक्षेप में नीचे सारणीबद्ध रूप में रखा गया है:

| क्र. संख्या | एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या/शीर्षक | राहत की मांग | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 6068/2022 गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाम भारत संघ | राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 को रद्द करना। | समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 28.04.2022 के एक विज्ञापन-अंतरिम आदेश के माध्यम से, उत्तरदाताओं को छात्रों का प्रवेश रद्द न करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था उसी पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश 21.09.2022 के माध्यम से, आरयूएचएस को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए नामांकित करने का निर्देश दिया गया था। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 6069/2022 अनंत चैरिटेबल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम यूओआई | चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.04.2022 को रद्द करना, जिसके तहत दी गई अनुमति का पत्र वापस ले लिया गया था | समन्वित पीठ द्वारा पारित 28.04.2022 दिनांकित एक अंतरिम आदेश के माध्यम से,उत्तरदाताओं को छात्रों का प्रवेश रद्द न करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। उसी पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश 21.09.2022 के माध्यम से, आरयूएचएस को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए नामांकित करने का निर्देश दिया गया था। |
| 3 | 6089/2022 श्रुति प्रिया दर्शनी और अन्य बनाम भारत संघ | मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.04.2022 को रद्द करना, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज -अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। | समन्वित पीठ द्वारा पारित 28.04.2022 दिनांकित एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी को छात्रों के प्रवेश को रद्द नहीं करने पर रोक लगा दी गई थी। उसी पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश 21.09.2022 के माध्यम से, आरयूएचएस को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए नामांकित करने का निर्देश दिया गया था। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 6119/2022 पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम भारत संघ | 22.04.2022 को आयोजित बैठक के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसके तहत प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता-कॉलेज में संपूर्ण पीजी सीटों को रद्द करने के लिए सरकार से निर्देश/ स्पष्टीकरण मांगा। | एक समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 21.09.2022 के एक आदेश के माध्यम से, आरयूएचएस को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए नामांकित करने का निर्देश दिया गया था। |
| 5 | 6126/2022 धरैया खुशबू नयन और अन्य बनाम भारत संघ | मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 को रद्द करना, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। | समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 28.04.2022 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, उत्तरदाताओं को छात्रों का प्रवेश रद्द न करने के लिए बाध्य किया गया था। उसी पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश 21.09.2022 के माध्यम से, आरयूएचएस को निर्देश दिया गया था कि वह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध करे। |
| 6 | 6145/2022 वैभव श्रीमाली और अन्य बनाम भारत संघ | मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.04.2022 को रद्द करना, जिसके तहत मेडिकल | समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 28.04.2022 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, उत्तरदाताओं को छात्रों का प्रवेश रद्द न करने के लिए प्रतिबंधित |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | कॉलेज-अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। | किया गया था। उसी पीठ द्वारा पारित 21.09.2022 के बाद के आदेश के तहत, आरयूएचएस को निर्देश दिया गया था कि वह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध करे। |
| 7 | 6176/2022 पटेल श्याम शैलेश कुमार और अन्य बनाम भारत संघ | मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.04.2022 को रद्द करना, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। | समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 28.04.2022 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, उत्तरदाताओं को छात्रों का प्रवेश रद्द न करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। उसी पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश 21.09.2022 के माध्यम से, आरयूएचएस को निर्देश दिया गया था कि वह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध करे। |
| 8 | 6180/2022 सलोनी झाला और अन्य बनाम भारत संघ | मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 को रद्द करना, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज अमेरिकन इंटरनेशनल | समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 28.04.2022 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, उत्तरदाताओं को छात्रों का प्रवेश रद्द न करने के लिए बाध्य किया गया था। उसी पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। | 21.09.2022 के माध्यम से, आरयूएचएस को निर्देश दिया गया था कि वह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध करे। |
| 9 | 6183/2022 आइना चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ | मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 को रद्द करना, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। | समन्वित पीठ द्वारा पारित 28.04.2022 दिनांकित एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी को छात्रों के प्रशासन को रद्द नहीं करने के लिए फिर से दबाव डाला गया। उसी पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश 21.09.2022 के माध्यम से, आरयूएचएस को निर्देश दिया गया था कि वह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध करे। |
| 10 | 6203/2022 मनस्वित सैनी और अन्य बनाम भारत संघ | मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 14.04.2022 के आदेश को रद्द करना, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ | समन्वित पीठ द्वारा पारित 28.04.2022 दिनांकित एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी को छात्रों के प्रशासन को रद्द नहीं करने के लिए फिर से दबाव डाला गया। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | मेडिकल साइंसेज के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। | |
| | | | उसी पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश 21.09.2022 के माध्यम से, आरयूएचएस को निर्देश दिया गया था कि वह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध करे। |
| | | | उसी पीठ द्वारा पारित एक बाद के आदेश 21.09.2022 के माध्यम से, आरयूएचएस को निर्देश दिया गया था कि वह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अस्थायी आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध करे। |
| 11 | 6349/2022 पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम भारत संघ | मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.4.2022 को रद्द करना, जिसके तहत उसने मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान | समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 21.09.2022 के आदेश के तहत, आरयूएचएस को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रवेश के लिए छात्रों का |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के प्रवेश को रद्द कर दिया है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को कॉलेज के लिए मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है। | नामांकन करने का निर्देश दिया गया था। |
| 12 | 6613/2022 रूही दक और अन्य बनाम भारत संघ | मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 को रद्द करना, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। | समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 21.09.2022 के आदेश के तहत, आरयूएचएस को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रवेश के लिए छात्रों का नामांकन करने का निर्देश दिया गया था। |
| 13 | 6665/ सुदिती महात्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य | मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 को रद्द करना, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज अमेरिकन इंटरनेशनल | समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 21.09.2022 के आदेश के तहत, आरयूएचएस को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रवेश के लिए छात्रों का नामांकन करने का निर्देश |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। | दिया गया था। |
| 14 | 7676/2022 विजेंद्र जांगिड़ बनाम भारत संघ | | दिनांक 21.09.2022 18.04.2022 के आदेश को रद्द करना मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश जिसके तहत मेडिकल कॉलेज अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। एक समन्वय पीठ द्वारा पारित, आर. यू. एच. एस. को निर्देश दिया गया कि वह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन प्रांतीय आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए नामांकित करे। |
| 15 | 7717/2022 डॉ हिमानी बनाम भारत संघ | मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 को | समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 21.09.2022 के आदेश के तहत, आरयूएचएस को रिट याचिका के अंतिम |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | रद्द करना, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 का प्रवेश रद्द कर दिया गया है। | परिणाम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रवेश के लिए छात्रों का नामांकन करने का निर्देश दिया गया था। |
| 16 | 9364/2022 अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड बनाम भारत संघ | राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 को रद्द करना, जिसके तहत प्रतिवादी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ने तत्काल प्रभाव सेअनुमति पत्र वापस ले लिया है और शैक्षणिक सत्र 2021 - 22 के लिए 150 स्नातक छात्रों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रवेश को रद्द कर दिया है। | एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 21.09.2022 के एक आदेश के माध्यम से, आर. यू. एच. एस. को निर्देश दिया गया था कि वह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन प्रांतीय आधार पर छात्रों को प्रवेश के लिए नामांकित करे। |
| 17 | 9625/2022 पैसिफिक | याचिकाकर्ता | समन्वित पीठ द्वारा |

| | | |
|---|---|---|
| इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम भारत संघ | संस्थान को 2000 के नियमों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है। | पारित दिनांक 21.09.2022 के आदेश के तहत, आरयूएचएस को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रवेश के लिए छात्रों का नामांकन करने का निर्देश दिया गया था। |

3. तथ्य

3.1. सभी रिट याचिकाओं में कमोबेश एक जैसे तथ्य हैं।विवादित आदेशों को पारित करने के लिए कथित कमियां भी प्रकृति में लगभग समान हैं।चार मेडिकल कॉलेजों में केवल स्नातक और स्नातकोत्तर में सीटों की संख्या अलग-अलग है। सुविधा के लिए, तथ्यात्मक विवरण और अन्य विवरण एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 6068/2022 से संदर्भित किए जा रहे हैं, जिसका शीर्षक गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाम भारत संघ और अन्य है।

3.2. गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच- संक्षेप में) शैक्षणिक वर्ष 2008 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान कर रहा है।पहले बैच के उत्तीर्ण होने के बाद, एन. एम. सी. (पूर्ववर्ती एम. सी. आई.) ने इसे 150 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ मान्यता दी। जी. एम. सी. एच. ने बाद में पी. जी. पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति के लिए आवेदन किया। तत्कालीन एमसीआई ने इसके लिए अनुमति दी थी।

3.3. 1956 के अधिनियम को 08.08.2019 से निरस्त कर दिया गया और एन. एम. सी. अधिनियम 2019 लागू किया गया।जी. एम. सी. एच. ने एम. बी. बी. एस. में प्रवेश को एन. एम. सी. में 150 से बढ़ाकर 250 करने के लिए आवेदन किया। आवश्यक निरीक्षण करने के बाद और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर, एन. एम. सी. ने शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से अतिरिक्त 100 सीटें प्रदान कीं।एन. एम. सी. ने दिनांक 22.09.2021 (वार्षिकी-3) के नवीनीकरण पत्र/आदेश के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए 250 छात्रों के प्रवेश की अनुमति का नवीनीकरण किया।

3.4. जी. एम. सी. एच. का कहना है कि वह 35 एकड़ भूमि में 1210 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल चला रहा है।इसमें पर्याप्त संख्या में योग्य मेडिकल

शिक्षण संकाय, शिक्षण बुनियादी ढांचा है। शुरुआत से ही व्याख्यान थिएटर और हॉल, शिक्षण प्रयोगशालाएं, सभागार, छात्रावास, सेंट्रल मेस, खेल और पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं।एक शैक्षणिक वर्ष में 1,350 से अधिक छात्र (यूजी पाठ्यक्रम और पीजी पाठ्यक्रम में) कॉलेज में प्रवेश लेते हैं।अस्पताल-महाविद्यालय उदयपुर और राजस्थान के आसपास के जिलों और आसपास के राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात के रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अति-आधुनिक तकनीक और चिकित्सा सुविधाओं से लैस है।

3.5. एन. एम. सी. के मूल्यांकनकर्ताओं के दल ने जी. एम. सी. एच. (अनुलग्नक-7) के साथ-साथ 24.02.2022 पर अन्य तीन मेडिकल कॉलेजों का औचक भौतिक निरीक्षण किया।इसने चारों कॉलेजों में कुछ कमियों की ओर इशारा किया।सभी संस्थानों ने एन. एम. सी. की निरीक्षण रिपोर्टों पर अपनी असहमति व्यक्त की। इसके बारे में और बाद में।

3.6. इसके बाद, जी. एम. सी. एच. (अन्य कॉलेजों की तरह) ने मूल्यांकन रिपोर्ट पर अपना विस्तृत स्पष्टीकरण दिनांक 25.02.2022 (अनुलग्नक-8) को प्रस्तुत किया।

3.7 .इसके बावजूद, एन. एम. सी. ने जी. एम. सी. एच. को 15 दिनों के भीतर कमियों को सुधारने के लिए कहते हुए दिनांक 21.03.2022 (अनुलग्नक-9) को कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया।
( सभी चार कॉलेजों को समान नोटिस जारी किए गए थे)।

3.8. जी. एम. सी. एच. ने सूक्ष्म विवरण देते हुए कारण बताएँ नोटिस पर दिनांक 05.04.2022 (अनुलग्नक-10) को एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। यह रुख अपनाया गया कि एससीएन के अनुपालन में उसमें बताई गई सभी कमियों को दूर किया गया है। यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की गई थी। महाविद्यालय के नए सिरे से निरीक्षण के लिए भी अनुरोध किया गया था।

3.9. जबकि मामला पूर्वोक्त रूप से लंबित था, एमबीबीएस और एमडी में प्रवेश के लिए 2021-2022 बैच के लिए काउंसलिंग मध्यावधि में शुरू हुई। एम. बी. बी. एस. में प्रवेश के लिए राज्य परामर्श बोर्ड द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 12.04.2022 (अनुलग्नक-16) थी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम तिथि 07.05.2022 निर्धारित की गई थी।

3.10. उपरोक्त यूजी परामर्श के अनुसार, जी. एम. सी. एच. में राज्य परामर्श बोर्ड द्वारा 250 छात्रों को प्रवेश दिया गया था। इसी तरह, जी. एम. सी. एच. के एम. डी./ एम. एस. में विभिन्न विशेष पाठ्यक्रमों में 61 छात्रों को आवंटित किया गया था।

इसके बाद मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू हुईं। (अन्य तीन मेडिकल कॉलेजों में भी, यूजी में 450-प्रत्येक में 150 और पीजी में 54 छात्रों को प्रवेश दिया गया।)

3.11. कारण बताओ नोटिस के लिए दायर विस्तृत उत्तर पर सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, एमएआरबी ने दिनांक 18.04.2022 (अनुलग्नक -20) का आदेश पारित किया, अन्य बातों के साथ-साथ, कॉलेज को दी गई नवीनीकरण अनुमति के पत्र को रद्द कर दिया। शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए ब्रॉड स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों दोनों में यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की 250 एमबीबीएस सीटों के लिए।आदेश पर एन. एम. सी. के एम. ए. आर. बी. के सदस्य और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसकी प्रतिलिपि एन. एम. सी. के सचिव को भेजी जाती है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वरिष्ठ वकीलों श्री के. वेणुगोपाल, श्री निधेश गुप्ता और श्री विकास द्वारा संबोधित प्रतिस्पर्धी दलीलें सुनी हैं।बलिया को विभिन्न याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके संबंधित ब्रीफिंग वकीलों द्वारा सहायता प्रदान की गई और श्री मनीष व्यास, श्री अखिलेश राजपुरोहित, श्री रवि मालू, श्री डी. एस. बेनीवाल, श्री उत्तम सिंह, श्री आर. एस. सलूजा और श्री मुकेश राजपुरोहित प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क/प्रस्तुतियाँ

4.1 .आक्षेपित आदेशों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अनिवार्य रूप से इन्हें एम. ए. आर. बी. द्वारा 2019 के अधिनियम की धारा 26 (1) (ए), (बी), (सी) और धारा 28 के तहत पारित किया गया है।एम. ए. आर. बी. ने एन. एम. सी. से यू. जी. और पी. जी.-ब्रॉड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों सहित महाविद्यालय की मान्यता को रद्द करने की भी सिफारिश की है। उक्त आदेश, जहां तक वे पहले से किए गए प्रवेश को रद्द करने से संबंधित हैं, इस प्रकार कानून के अधिकार के बिना और क्षेत्राधिकार के बिना हैं। धारा 26 (1) (एफ) पहले से किए गए प्रवेश को रद्द करने पर विचार नहीं करती है। एम. ए. आर. बी. आई. बी. आई. डी. की धारा 26 के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से ऐसे आदेश पारित करने के लिए कानून में सक्षम नहीं है।

4.2. एम. ए. आर. बी. ने अपने कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.03.2022 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि "आयोग को कॉलेज पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए, एम. बी. बी. एस. की बढ़ी हुई *150* से *250* सीटों के लिए दिए गए अनुमति पत्र को वापस क्यों नहीं लेना चाहिए, बढ़ी हुई सीटों की एम. बी. बी. एस. मान्यता आयोजित करने से रोका जाना चाहिए", और आगे कहा कि "इस प्रकार आपको उल्लिखित कमियों को भरने और इस पत्र को प्राप्त करने के *15* दिनों के भीतर

एन. एम. सी. के एम. ए. आर. बी. को रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है।"
याचिकाकर्ताकर्ता ने विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया है और सभी स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं और एम. ए. आर. बी. से अनुरोध किया है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार अनुपालन सत्यापन निरीक्षण करे या यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करे।याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के जवाब पर आक्षेपित आदेश पारित करते समय विचार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता के उत्तर पर असंतोष के लिए एमएआरबी ने अपने आदेश में कोई कारण नहीं बताया है। पहले के सभी निरीक्षणों में बिस्तर अधिभोग और संकाय सदस्यों की उपलब्धता के संबंध में महत्वपूर्ण पहलू, तथ्यपूर्ण कोविड स्थिति के साथ एम. ए. आर. बी. द्वारा निपटा नहीं गया है, और इसके अलावा, एम. ए. आर. बी. ने किसी भी कानून के अधिकार के बिना विवादित आदेश पारित करते हुए मान्यता प्राप्त सीटों पर प्रवेश रद्द कर दिया है।

4.4 .एम. ए. आर. बी. ने बड़ी संख्या में छात्रों के करियर को संकट में डाल दिया है, राज्य परामर्श बोर्ड द्वारा आयोजित पूरे परामर्श के दौरान मूक दर्शक के रूप में काम किया है। इसके अलावा, 2008 के बाद से, एमसीआई/एनएमसी द्वारा लगभग 154 निरीक्षण किए गए और संस्थान को उपयुक्त पाया गया।हालाँकि, एक निरीक्षण के आधार पर उत्तरदाताओं द्वारा सभी चीजें पूर्ववत कर दी गई हैं।

4.5. एक प्रशासनिक आदेश द्वारा, शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए छात्रों के लिए राज्य परामर्श बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत परामर्श के उचित माध्यम से पहले से ही किया गया प्रवेश रद्द कर दिया गया है। किसी भी प्रशासनिक आदेश को कानून में पूर्वव्यापी प्रभाव से ऐसा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सके।

4.6. दिनांक 18.04.2022 का आक्षेपित आदेश स्वतः विरोधाभासी है।एम. ए. आर. बी. ने कई स्थानों पर कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण विश्वसनीय है लेकिन स्वीकार्य नहीं है। उत्तरदाता इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं कि स्पष्टीकरण कैसे आश्वस्त करने वाला है लेकिन स्वीकार्य नहीं है।

4.7. केवल डेढ़ महीने के बाद 10.06.2022 और फिर 24.06.2022 पर, उसके बाद 28.06.2022 और फिर 02.07.2022 पर, एन. एम. सी. ने स्नातकोत्तर सीटों की मान्यता बढ़ाने/नवीनीकरण के लिए 18 औचक निरीक्षण किए और कॉलेज को पूरी तरह से वैधानिक मानदंडों का पालन करते हुए पाया।

4.8. एन. एम. सी. ने गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 24/25.08.2022 पर औचक निरीक्षण किया। इस आकस्मिक निरीक्षण में, प्रतिवादी एन. एम. सी. ने पाया कि सभी कॉलेज एन. एम. सी. के वैधानिक मानदंडों को पूरा करते हैं। जी. एम. सी. एच. के मूल्यांकन का सारांश इस प्रकार हैः

## मूल्यांकन का सारांश

*1.* गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गीतांजलि यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है।

*2.* कॉलेज को पिछले शैक्षणिक वर्ष *2019-20* के लिए *250* सीटों के साथ भारत सरकार/एमसीआई से एलओपी मिला है।

*3.* मूल्यांकन का प्रकारः*3* सीटों की संख्या का नवीनीकरणः*150* से *250* तक

*4.* पीजी पाठ्यक्रमः सभी विभागों में हाँ*5.*शिक्षण कर्मचारियों की कमी यदि कोई हो तोःशिक्षण संकाय की कमी *0.85%* है।

*(*फोरेंसिक मेडिसिन में *1* एसोसिएट प्रोफेसर और पीडियाट्रिक्स में *1* सहायक प्रोफेसर की कमी है*)*

*6.* रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी यदि कोई हो तोःरेजिडेंट डॉक्टरों की कमी शून्य प्रतिशत है।

*7.* महाविद्यालय और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की कमी यदि कोई हो तोःकृपया श्रेणीवार उल्लेख करें*;*

*8.* नैदानिक सामग्री की कमी यदि कोई हो तोःकृप्या श्रेणीवार उल्लेख करें*;*
*9.* कोई अन्य टिप्पणीः

एसडी/- "

इस प्रकार, दिनांक 18.4.2022 के आक्षेपित आदेश को पारित करने के बाद, थोड़े ही समय के भीतर एन. एम. सी. ने विभिन्न आकस्मिक निरीक्षण किए, जिसमें उन्होंने पाया कि सभी संस्थान मानदंडों को पूरा करते हैं और एन. एम. सी. ने बाद के दो शैक्षणिक सत्रों यानी शैक्षणिक सत्र 2022-2023 और 2023-2024 के लिए अनुमति भी दी।

आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले, 154 निरीक्षण किए गए थे औरआक्षेपित आदेश के बाद, 46 निरीक्षण किए गए थे। सभी निरीक्षणों में जीएमसीएच को सभी वैधानिक मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए पाया गया। अपने उपरोक्त तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने अदालत से 06.12.2022 (अनुलग्नक-24) की निरीक्षण रिपोर्ट को संदर्भित करने का आग्रह किया।

4.9. बहस के दौरान, विद्वान वरिष्ठ अन्य तीन मेडिकल कॉलेजों के तथ्यों वाले सारणीबद्ध बयानों का भी उल्लेख करेंगे। समान रूप से निम्नानुसार हैं:-

## एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9364/2022 अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और अन्य

| | |
|---|---|
| 2016 | महाविद्यालय एमबीबीएस में 150 छात्रों की क्षमता के साथ चल रहा है। |
| 2021 | 1956 के अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत मान्यता दी गई थी। मान्यता पत्र वर्ष 2021 में दिया गया था। |
| | याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति देने के लिए आवेदन किया था और उसे अनुमति दे दी गई है। हालाँकि, एन. एम. सी. ने याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के अनुसार पीजी सीटें प्रदान नहीं कीं। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएं दायर कीं और दिनांक 24.01.2022 के अंतरिम आदेशों के माध्यम से, प्रतिवादी परामर्श बोर्ड को याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के अनुसार याचिकाकर्ता को छात्रों को आवंटित करने का निर्देश दिया गया था। |
| 24.02.22 | शायद उपरोक्त अंतरिम आदेशों से नाराज होकर, एन. एम. सी. ने अचानक भौतिक निरीक्षण किया। |
| 01.03.22 | याचिकाकर्ता ने निरीक्षण रिपोर्ट पर ही अपने असहमति नोट का उल्लेख किया। |
| 23.03.22 | याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। |
| 04.04.22 | याचिकाकर्ता ने सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। |
| 18.04.2022 | प्रतिवादी एम. ए. आर. बी. ने विवादित आदेश जारी किया जिसके द्वारा उसने अनुमति पत्र वापस ले लिया और शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 150 एम. बी. बी. एस. सीटों और स्नातकोत्तर सीटों के लिए प्रवेश रद्द कर दिए। |
| 28.04.22 & 11.05.22 | इस न्यायालय ने छात्रों के प्रवेश की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित किए जब उन्होंने उपरोक्त रिट याचिका दायर करके संपर्क किया |

| | |
|---|---|
| 03.06.22 | इस न्यायालय ने उपरोक्त अंतरिम आदेश दिनांक 28.04.2022 की पुष्टि की। |
| 07.07.22 | इस अदालत ने याचिकाकर्ता कॉलेज के पक्ष में भी अंतरिम आदेश दिया। |
| 02.08.22 | प्रतिवादी एन. एम. सी. के वकील ने एन. एम. सी. द्वारा किए जाने वाले नए औचक निरीक्षण के संबंध में अपने निर्देश को पूरा करने के लिए समय मांगा। |
| 04.08.22 | एन. एम. सी. ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24 के लिए 12 स्नातकोत्तर विषयों की अनुमति दी। |
| 24/25.08.22 | 24/25.08.2022 एन. एम. सी. ने औचक निरीक्षण किया और कॉलेज की शिकायत को एन. एम. सी. के वैधानिक मानदंडों के साथ पाया। |
| 14.12.22 | एन. एम. सी. द्वारा एक और औचक निरीक्षण किया गया और कॉलेज को पूरी तरह से अनुपालन पाया गया। |

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6069/2022 अनंत चैरिटेबल एजुकेशनल सोसाइटी और अन्र।

| | |
|---|---|
| 2016 | एम. बी. बी. एस. में 150 छात्रों की क्षमता के साथ कॉलेज चल रहा है। |
| 15/19.07.2021 | 1956 के अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत मान्यता दी गई थी। मान्यता पत्र प्रदान किया गया। |
| | याचिकाकर्ताकर्ता ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कुछ स्नातकोत्तर विषयों में स्नातकोत्तर सीटों के अनुदान के लिए आवेदन किया और उन्हें मंजूरी दे दी गई। हालाँकि, एन. एम. सी. ने याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के अनुसार पीजी सीटें प्रदान नहीं कीं। याचिकाकर्ता ने इस अदालत के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएं दायर कीं और अंतरिम आदेशों के माध्यम से प्रतिवादी परामर्श बोर्ड को याचिकाकर्ता को छात्रों को आवंटित करने का निर्देश दिया गया। |
| 24.02.22 | शायद उपरोक्त अंतरिम आदेशों से नाराज होकर, एन. एम. सी. ने अचानक भौतिक निरीक्षण किया। |

| | |
|---|---|
| 25.02.22 | याचिकाकर्ता ने ईमेल द्वारा से असहमति ध्यान दें प्रस्तुत किया। |
| 23.03.22 | याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। |
| 06.04.22 | याचिकाकर्ता ने सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। |
| 14.04.22 | प्रतिवादी एम. ए. आर. बी. ने विवादित आदेश जारी किया जिसके द्वारा उसने 150 एम. बी. बी. एस. सीटों और स्नातकोत्तर सीटों के लिए विद्या सम्बन्धी वर्ष 2021-22 की अनुमति के नवीनीकरण के पत्र को वापस ले लिया। |
| 28.04.22 | इस न्यायालय ने छात्रों के प्रवेश की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित किए जब उन्होंने उपरोक्त रिट याचिका दायर करके संपर्क किया। |
| 03.06.22 | इस न्यायालय ने उपरोक्त अंतरिम आदेश दिनांक 28.04.2022 की पुष्टि की। |
| 02.08.22 | प्रतिवादी एन. एम. सी. के वकील ने एन. एम. सी. द्वारा किए जाने वाले नए औचक निरीक्षण के संबंध में अपने निर्देश को पूरा करने के लिए समय मांगा। |
| 24/25.08.2022 | एन. एम. सी. ने औचक निरीक्षण किया और कॉलेज की शिकायत को एन. एम. सी. के वैधानिक मानदंडों के साथ पाया। |
| 08.12.22 & 12.01.23 | एन. एम. सी. ने स्नातकोत्तर सीटों के लिए विभिन्न आकस्मिक निरीक्षण भी किए और संस्थान को दिनांकित 31.01.2023,23.02.2023,16.03.2023 और 24.03.2023 के आदेशों में वैधानिक मानदंडों के अनुसार पाया। |
| 08.12.22 & 14.02.23 | उपरोक्त निरीक्षण के अलावा, एनएमसी ने विवादित आदेश पारित होने के बाद यूजी और पीजी के संबंध में 11 निरीक्षण भी किए, हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा सभी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने 08.12.2022 और 14.02.2023 की दो निरीक्षण रिपोर्टें रखी हैं।<br>एन. एम. सी. ने याचिकाकर्ता को जून 2022 को या उसके बाद एम. बी. बी. एस. डिग्री 150 सीटों की मान्यता प्रदान की है। |
| 07.06.23 | यह इस मामले के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलू है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-2022 |

| | |
|---|---|
| | बैच के छात्रों ने राज्य विश्वविद्यालय यानी राजस्थान स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर की पहली एमबीबीएस परीक्षा में प्रथम, पाँचवीं और 18 वीं रैंक हासिल की है। इसलिए, तथ्य स्वयं स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि संस्थान पूरी तरह से मानदंडों का पालन कर रहा है और पूरी तरह से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। |

**एस. बी. सिविल** रिट **याचिका** संख्या**.6349/2022 पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस**

| | |
|---|---|
| 2015-16 | महाविद्यालय एमबीबीएस में 150 छात्रों की क्षमता के साथ चल रहा है। |
| 20.07.20 | 1956 के अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत मान्यता दी गई थी। स्नातकोत्तर सीटों के लिए आवेदन किया गया और पत्र या अनुमति दी गई। |
| | याचिकाकर्ताकर्ता ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कुछ स्नातकोत्तर विषयों में स्नातकोत्तर सीटों के अनुदान के लिए आवेदन किया और उन्हें मंजूरी दे दी गई। हालाँकि, एन. एम. सी. ने याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के अनुसार पीजी सीटें प्रदान नहीं कीं। याचिकाकर्ता ने इस अदालत के समक्ष रिट याचिका दायर की और अंतरिम आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी परामर्श बोर्ड को याचिकाकर्ता को आवेदन के अनुसार छात्रों को आवंटित करने का निर्देश दिया गया। |
| 24.02.22 | शायद उपरोक्त अंतरिम आदेशों से नाराज होकर, एन. एम. सी. ने अचानक भौतिक निरीक्षण किया। |
| 23.03.22 | याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। |
| 05.04.22 | याचिकाकर्ता ने सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। |
| 14.04.22 | प्रतिवादी एमएआरबी ने आक्षेपिट आदेश जारी किया जिसके द्वारा उसने 150 एमबीबीएस सीटों और स्नातकोत्तर सीटों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में दी गई अनुमति के नवीनीकरण का पत्र वापस ले लिया। |
| 17.05.22 | कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले दिए गए दाखिलों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश दिया। |

| | |
|---|---|
| 03.06.22 | अदालत ने अंतरिम आदेश की पुष्टि की। |
| 02.08.22 | प्रतिवादी एन. एम. सी. के वकील ने एन. एम. सी. द्वारा किए जाने वाले नए औचक निरीक्षण के संबंध में अपने निर्देश को पूरा करने के लिए समय मांगा। |
| 24/25.08.22 | एन. एम. सी. ने औचक निरीक्षण किया और कॉलेज की शिकायत को एन. एम. सी. के वैधानिक मानदंडों के साथ पाया। |
| 23.02.23 | उपरोक्त निरीक्षण के अलावा एन. एम. सी. ने आक्षेपित आदेश पारित करने के बाद यू. जी. और पी. जी. के संबंध में भी निरीक्षण किया। |
| 27.06.23 | याचिकाकर्ता ने 27.06.2023 दिनांकित रिकॉर्ड आदेश भी दिया जिसके द्वारा एन. एम. सी. ने याचिकाकर्ता को फरवरी 2023 को या उसके बाद एमबीबीएस डिग्री 150 सीटों की मान्यता प्रदान की है। |

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि उपरोक्त के मद्देनजर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिनांक 14.4.2022 और 18.04.2022 के लागू आदेशों/सिफारिशों ने महत्व खो दिया है, क्योंकि इसके बाद, थोड़े समय के भीतर, एनएमसी ने कार्रवाई की है। विभिन्न औचक निरीक्षणों में उन्होंने संस्था को मानकों पर खरा पाया।इतना ही नहीं, एनएमसी ने अगले दो शैक्षणिक सत्रों यानी शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24 के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति भी दे दी है।

4.3. याचिकाकर्ताओं के वकील तर्क देंगे कि मूल्यांकन टीम द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से तैयार की गई उसी दिन की रिपोर्ट पर निरीक्षण किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि आकस्मिक निरीक्षण इस अदालत के समक्ष रिट याचिका दायर करके पी. जी. पाठ्यक्रम की बढ़ती सीटों की मांग करने के संस्थानों के प्रयास से प्रेरित थे, क्योंकि एम. ए. आर. बी./एन. एम. सी. ने कॉलेजों को इससे इनकार कर दिया था।

4.4. इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि एम. ए. आर. बी. को 2019 के अधिनियम की धारा 26 (1) (एफ) के अनुसार प्रवेश रद्द करने या मान्यता वापस लेने की सिफारिश करने जैसे गंभीर उपायों का सहारा लेने से पहले मौद्रिक दंड लगाने पर विचार करना चाहिए था।

4.5. वे यह भी तर्क देंगे कि एम. ए. आर. बी. ने कारण दर्शाएँ नोटिसों पर संस्थानों की प्रतिक्रियाओं की ठीक से सराहना नहीं की और निरीक्षण के लिए एन. एम. सी. दिशानिर्देशों का भी पालन नहीं किया।

4.6 उनका तर्क है कि विवादित आदेश प्रियदर्शनी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाम भारत संघ में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हैं।

5. एम. ए. आर. बी./एन. एम. सी. की ओर से तर्क:

जहाँ तक एम. ए. आर. बी. और एन. एम. सी. द्वारा स्थापित किए जाने के मामले का संबंध है, लिया गया रुख निम्नानुसार हैः-

5.1. 4 मेडिकल कॉलेजों में किए गए औचक मूल्यांकन के दौरान कमियां पाई गईं। आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले, इसे सुधारने के लिए समय दिया गया था लेकिन कॉलेज ऐसा करने में विफल रहेकमियों को संक्षेप में, महाविद्यालय-वार, नीचे सूचीबद्ध किया गया हैः

| महाविद्यालय | कमियां |
|---|---|
| गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल | (i) महाविद्यालय में 38 प्रतिशत शिक्षकों की कमी थी<br>(ii) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रमाणपत्र सौंपने के लिए प्राधिकरण की अवधि 31 जनवरी 2019 को समाप्त हो गई थी।<br>(iii) सत्यापन दल ने अस्पताल के एच. एम. आई. एस. में प्रदर्शित 1220 बिस्तरों के मुकाबले दोपहर 2:30 से 4 बजे के बीच 424 इनडोर रोगियों को पाया, जो केवल 35 प्रतिशत बिस्तर अधिभोग का सुझाव देता है।<br>(iv) पीजी इनटेक सर्जिकल स्पेशलिटीज के लिए दैनिक ऑपरेटिव लोड की तुलना में बड़ी और छोटी सर्जरी की संख्या बहुत कम (50 प्रतिशत) थी।<br>(v) एच. एम. आई. एस. डेटा और वार्ड में टीम द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन के बीच का अंतर।<br>(vi) सर्जिकल केस लोड की कमी।<br>(vii) हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी कार्य भार अपर्याप्त है। |

| | |
|---|---|
| अनंत चैरिटेबल एजुकेशन सोसाइटी | (i) कुल शिक्षकों की कमी 77 (51.6%) की थी<br>(ii) आवश्यकता के मुकाबले बिस्तरों की संख्या कम थी। (iii) लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों की कमी थी।<br>(iv) अस्पताल में कोई व्याख्यान कक्ष नहीं है।<br>(v) लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों की कमी थी।<br>(vi) आपातकालीन चिकित्सा विभाग की कमी थी।<br>(vii) प्रमुख ऑपरेशन थिएटर की कमी। |
| अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज | (i) मूल्यांकन के दिन 1200 की आवश्यकता के मुकाबले ओ. पी. डी. उपस्थिति 776 थी।<br>(ii) 75 प्रतिशत की अपेक्षित रोगी आवश्यकता के मुकाबले बिस्तर अधिभोग 29.5% था।<br>(iii) नर्सिंग और कर्मचारियों की संख्या 429 की आवश्यकता के मुकाबले 372 थी।<br>(iv) गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी-40 प्रतिशत।<br>(v) विदेशी और भारतीय पत्रिकाएँ अद्यतन नहीं थीं।<br>(vi) महाविद्यालय की वेबसाइट को अद्यतन नहीं किया गया था।<br>(vii) कंप्यूटर टर्मिनल उपलब्ध नहीं थे।<br>(viii) संकाय और निवासियों की कमी।<br>(ix) स्नातकोत्तर विशेषज्ञताओं के लिए अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।<br>(x) आई. पी. डी और ओ. पी. डी. की कमी-65 प्रतिशत से अधिक की कमी।<br>(xi) एच. एम. आई. एस. और प्रत्यक्ष सत्यापन के बीच अंतर।<br>(xii) जाँच की कमी।<br>(xiii) यूजी/पीजी प्रवेश की कमी के अनुसार उपकरणों की कमी।<br>(xiv) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा स्नातकोत्तर प्रवेश के अनुसार उपलब्ध नहीं है। |
| पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज | (i) संकाय की कमी।<br>(ii) वार्डों में रोगियों की संख्या कम है।<br>(iii) हाथों से प्रशिक्षण के लिए नैदानिक सामग्री की गुणवत्ता खराब है। |

| | |
|---|---|
| | (iv) बाल चिकित्सा वार्ड में बनाए गए रजिस्टर के अनुसार रोगियों की संख्या निरीक्षण के दौरान देखे गए रोगियों की संख्या से मेल नहीं खाती।<br>(V) वार्डों में उपलब्ध प्रवेश रजिस्टरों के अनुसार नैदानिक सामग्री की गुणवत्ता स्नातकोत्तर छात्रों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविधता सिखाने के लिए नैदानिक सामग्री के पर्याप्त स्पेक्ट्रम की नहीं थी।<br>(vi) वार्ड, एल. आर., ओ. टी. और क्लीनिकों की दैनिक जनगणना का अनुपालन नहीं किया जाता है और उनके संबंधित रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया जाता है।<br>(vii) पुस्तकालय में केवल एक राष्ट्रीय पत्रिका और कोई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नहीं।<br>(viii) वार्डों में बिस्तरों की संख्या असंगत थी।<br>(ix) स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के शिक्षण में कोई भौतिक उपस्थिति रजिस्टर/रिकॉर्ड नहीं पाया गया।<br>(x) ओ. पी. डी. के दौरे के दौरान किसी भी ओ. पी. डी. में कोई सलाहकार/वरिष्ठ निवासी उपलब्ध नहीं थे।<br>(xi) प्रमुख शल्य चिकित्साओं में अंतर। |

5.2. अगस्त 2023 में इस न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश 02.08.2022 के अनुसार नए औचक निरीक्षण किए गए।एनएमसी कॉलेजों में उस समय मौजूद भारी कमियों को देखते हुए निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एलओपी रद्द करने के अपने फैसले पर कायम है और वर्तमान मामले में इस पर कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए।

5.3. अधिनियम की योजना और अधिनियम की धारा26 और 28, एम. ए. आर. बी. को देश में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने की अनुमति देती है।प्रश्नगत चार मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में प्रवेशित छात्रों को  निम्न-मानक चिकित्सा शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकेगी।

5.4. इस तर्क के समर्थन में मनोहर लाल शर्मा बनाम एमसीआई 3 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था कि मेडिकल कॉलेज को अनुमति का नवीनीकरण देने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के कठोर नियम लागू नहीं होते

हैं।व्यक्तिगत सुनवाई अधिकार का मामला नहीं है।15 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने का अवसर दिया गया और कॉलेज ऐसा करने में विफल रहे।इसलिए, इस न्यायालय द्वारा विवादित आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

## चर्चा और परिणाम

6. अब मैं प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने के लिए आगे बढ़ूंगा और उनके कारण बताते हुए अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

7. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, छात्रों की शिकायत, जो सभी अपनी-अपनी रिट याचिकाओं में इस न्यायालय के समक्ष हैं।राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अध्यक्षता में एक विशेष रूप से गठित समिति द्वारा 11.05.2022 पर आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय से भी यही उत्पन्न होता है, जो नीचे दिया गया है:

> " राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और इसमें डॉ. सूर्यनारायण राजू, सदस्य, एम. ए. आर. बी., डॉ. विजय ओझा, पी. जी. एम. ई. बी. और श्री वैभव गलरिया, प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार ने भाग लिया।
>
> यह बैठक (1) गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर, राजस्थान, (2) अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, राजसमंद, राजस्थान, (3) पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उदयपुर, राजस्थान और (4) अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उदयपुर, राजस्थान के छात्रों के पुनः आवंटन में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

*1.* यह निर्णय लिया गया है कि इन कॉलेजों से स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों का मौजूदा सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पुनर्वितरण राज्य सरकार द्वारा उनकी योग्यता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

*2.* पहले से मौजूद छात्रों की संख्या और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर कॉलेजों के आश्रितों को छात्रों का वितरण।सीटें *250* से अधिक नहीं हो सकती हैं।

*3.* स्नातकोत्तर छात्रों को उनकी योग्यता और अन्य कॉलेजों में सीटों की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे के आधार पर उसी विशेषता के साथ पुनर्वितरित किया जा सकता है।

*4.* जिला निवासी कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों के बदले स्नातकोत्तर छात्रों को जिला अस्पतालों में *3* महीने तक काम करने की अनुमति दी जा सकती है।

*5.* फीस के संबंध में, छात्र उस कॉलेज के मानदंडों के अनुसार पालन करेंगे जहां वे अपने पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए चुन रहे हैं।जिन कॉलेजों ने पहले ही शुल्क एकत्र कर लिया है, वे राज्य सरकार को धन हस्तांतरित करेंगे।

*6.* राज्य सरकार को अदालती मामलों के अंतिम परिणाम के अनुसार निर्णय को अधिसूचित करना चाहिए।

एसडी/- "

उपरोक्त का केवल अवलोकन यह दर्शाता है कि जिन छात्रों को उनके संबंधित कॉलेजों में प्रवेश दिया गया है, उनकी योग्यता पर कोई विवाद नहीं है, जिन्हें पुनर्वितरित किया जाना प्रस्तावित है। इस हद तक, छात्र पूरी तरह से उचित हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनके करियर को उनकी चिकित्सा शिक्षा के बीच में खतरे में डाल दिया गया है।

8. दूसरी ओर, एक अदालती प्रश्न पर, यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने भी कोई कानूनी बाधा नहीं होने के बावजूद, उपरोक्त 11.05.2022 दिनांकित निर्णय के संदर्भ में पर्याप्त कदम नहीं उठाए, जिससे छात्र अपनी एमबीबीएस/एम. डी. पूरी करने के लिए भविष्य की शिक्षा के अपने भाग्य के बारे में पूरी तरह से टूट गए। जैसा भी हो, इस अदालत की विभिन्न समन्वय पीठों द्वारा पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों के आधार पर, पहले समय-समय पर मामले को जब्त कर लिया गया था, जहां तक छात्रों का सवाल है, वे सुरक्षा के तहत चार मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति, निश्चित रूप से, संबंधित रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम पर निर्भर करती है।

10. अब एम. ए. आर. बी. के आक्षेपित आदेशों/सिफारिशों की ओर रुख करना। इसके गुणों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान वरिष्ठों द्वारा यह प्रचार करने में अधिकांश समय बिताया गया कि एम. ए. आर. बी. के पास पहले से ही दिए गए प्रवेशों को रद्द करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 26 के तहत कानूनी अधिकार नहीं है। त्वरित संदर्भ के लिए उक्त अनुभाग को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

**"26.चिकित्सा मूल्यांकन और मूल्यांकन बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य।—**

(1).चिकित्सा मूल्यांकन और मूल्यांकन बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—

(ए) स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया निर्धारित करना।

चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार;

(बी) धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार, एक नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना, या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने या सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देना;

(सी) इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसे संस्थानों का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने के लिए चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करना:

बशर्ते कि चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, यदि आवश्यक समझे, ऐसे संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करने के लिए किसी अन्य तृतीय पक्ष एजेंसी या व्यक्तियों को नियुक्त और अधिकृत कर सकता है:

बशर्ते कि जहां चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण ऐसी तीसरी पार्टी एजेंसी या मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ऐसे संस्थानों के लिए ऐसी एजेंसी या व्यक्ति तक पहुंच प्रदान करना अनिवार्य होगा;

(डी) आचरण, या जहां यह आवश्यक समझे, सभी चिकित्सा संस्थानों को उनके खुलने की अवधि के भीतर और उसके बाद हर साल, ऐसे समय पर, और ऐसे तरीके से संचालन, मूल्यांकन और रेटिंग करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध करें, जैसा कि नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। ;

(ई) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार नियमित अंतराल पर चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग को अपनी वेबसाइट या सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराना;

(च) इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता के लिए किसी चिकित्सा संस्थान के खिलाफ चेतावनी जारी करना, मौद्रिक जुर्माना लगाना, प्रवेश को कम करना या रोकना और मान्यता वापस लेने के लिए आयोग से सिफारिश करना जैसे उपाय करना।

(2). मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, अपने कार्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकता है और उससे ऐसे निर्देश मांग सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे। "

(जोर दिया गया)

उपरोक्त धारा इस प्रकार एम. ए. आर. बी. को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सशक्त बनाता है, जो सक्षम चिकित्सा पेशेवरों के विकास और कुशल स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए सर्वोपरि है।एम. ए. आर. बी. की स्थापना चिकित्सा संस्थानों के कठोर मानकों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।आइए अब हम एम. ए. आर. बी. की वैधानिक शक्तियों और कार्यों पर गौर करें।

10.1. धारा 26 आई. बी. आई. डी. के तहत परिकल्पित शक्तियों और कार्यों के दायरे को विभिन्न शीर्षों में विभाजित करके बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

## एम. ए. आर. बी.- के कार्य और उत्तरदायित्व-

## (ए) निर्धारण प्रक्रियाएं:

एमएआरबी का एक प्राथमिक कार्य चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना है। इसमें स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के साथ इन संस्थानों के अनुपालन का मूल्यांकन करना शामिल है। स्पष्ट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को परिभाषित करके, बोर्ड शैक्षणिक संस्थानों के व्यवस्थित मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं।

## (ख) स्थापना और विस्तार के लिए अनुमति देना:

बोर्ड चिकित्सा संस्थानों के विकास और विस्तार को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।यह नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुरुआत या सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए अधिनियम की धारा 28 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुमति देता है।यह कार्य यह सुनिश्चित करता है कि चिकित्सा संस्थानों के प्रसार की सावधानीपूर्वक निगरानी और नियंत्रण किया जाए, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता करने वाले अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके।

## (ग)- निरीक्षण और मूल्यांकन करना:

बोर्ड चिकित्सा संस्थानों के नियमों के अनुपालन का आकलन करने के लिए उनका नियमित निरीक्षण करता है।यह मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता और संपूर्णता सुनिश्चित करते हुए इन निरीक्षणों के लिए तीसरे पक्ष की एजेंसियों की सहायता ले सकता है।व्यापक मूल्यांकन आयोजित करके, बोर्ड सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान स्थापित मानकों का पालन करें, जिससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो।

## (घ)- स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करना:

मूल्यांकन प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए, बोर्ड के पास स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का अधिकार है।ये एजेंसियां पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन करती हैं और चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन करती हैं।स्वतंत्र एजेंसियों को शामिल करके, बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जवाबदेही को बढ़ावा देता है और चिकित्सा शिक्षा मानकों में निरंतर सुधार करता है।

## ई)- रेटिंग के प्रकाशन के माध्यम से पारदर्शिता:

बोर्ड चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।यह जानकारी इसकी वेबसाइट या अन्य सार्वजनिक डोमेन के माध्यम से प्रसारित की जाती है, जिससे हितधारकों को चिकित्सा संस्थानों के प्रदर्शन तक पहुंचने और मूल्यांकन करने की अनुमति मिलती है। इस जानकारी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर, बोर्ड सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है और संस्थानों को चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

**(च) मानकों और विनियमों का प्रवर्तनः**

शायद मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानकों और विनियमों को लागू करने का अधिकार है।बोर्ड विभिन्न उपाय कर सकता है, जैसे कि न्यूनतम मानकों को बनाए रखने में विफल रहने वाले संस्थानों के खिलाफ चेतावनी जारी करना, मौद्रिक दंड लागू करना, सेवन को कम करना या मान्यता वापस लेने की सिफारिश करना।अनुपालन को लागू करके, बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि चिकित्सा संस्थान शिक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखें, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की रक्षा हो सके।

**(छ) (उप-धारा-2):आयोग के साथ सहयोगः**

अपने कार्यों के निर्वहन में, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड आयोग के साथ मिलकर सहयोग करता है।यह आयोग को सिफारिशें कर सकता है और व्यापक नियामक उद्देश्यों और नीतियों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार निर्देश ले सकता है।यह सहयोग बोर्ड के नियामक प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और चिकित्सा शिक्षा मानकों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

10.2. सवाल यह उठता है कि क्या एम. ए. आर. बी. पहले से दिए गए प्रवेशों को रद्द कर सकता है?

10.3 इसके उत्तर के लिए उप-धारा 26 (1) (च) और 26 (2) में उल्लिखित कार्यों/शक्तियों की गहन जांच की आवश्यकता है, जिन्हें ऊपर वर्णित किया गया है।इन उप-धाराओं की व्याख्या पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेडिकल कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकीलों के साथ-साथ छात्रों द्वारा प्रस्तुत सामूहिक तर्क, स्वीकृति के महत्व और गुणों को दर्शाता है, यानी एम. ए. आर. बी. के पास मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा प्रवेश को पूर्वव्यापी रूप से रद्द करने का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र क्षेत्र नहीं है।उप-धारा 26 (1) (च) में **सांविधिक शब्दों "प्रवेश को कम करना या रोकना"** की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि प्रवेश को पूर्वव्यापी रूप से कम किया जा सकता है या एक बार दिए जाने के बाद प्रवेश को पूर्वव्यापी रूप से रोका जा सकता है। क्योंकि, इसके परिणामस्वरूप खतरे से भरे परिणाम होंगे और छात्रों के करियर के साथ तबाही होगी, जो अन्यथा सभी मामलों में मेधावी हैं। जो किया गया है उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, लेकिन हां, भविष्य में निरंतरता से बचने के लिए, यदि स्थिति आवश्यक है, तो इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है

कि एम. ए. आर. बी. में प्रवेश को अस्वीकार करने/रोकने की शक्ति निहित है, लेकिन केवल संभावित रूप से। जहां तक अतीत में की गई कार्रवाई के संबंध में विचार किया गया है, तो यह केवल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, जिसके पास ऐसी शक्ति निहित है, बशर्ते वह उप-धारा (2) के तहत दी गई एम. ए. आर. बी. की सिफारिशों को स्वीकार करे, लेकिन वह भी अपने स्वतंत्र दिमाग को लागू करने के बाद एक अलग बोलने वाले आदेश के माध्यम से। जैसा कि ऊपर कहा गया है, व्याख्या करने के बाद, आइए अब हम आगे बढ़ें।

11. स्वीकार करते हुए, एम. ए. आर. बी. द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सभी छात्रों के करियर और भविष्य को खतरे में डालते हुए आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं। इस प्रकार, उनकी चिकित्सा शिक्षा के बीच में ही डैमोकल्स की तलवार उनके सिर पर लटका दी गई, जिससे वे निराश हो गए।प्रासंगिक समय पर, एन. ई. ई. टी द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार देश के अन्य सभी कॉलेजों में मेडिकल सीटें पहले ही खत्म हो चुकी थीं। इसलिए, भले ही एमएआरबी के आदेश को बरकरार रखा जाए, छात्रों के पास कहीं जाने का विकल्प नहीं है।इसके परिणामस्वरूप उन छात्रों को विस्थापित किया जा सकता है जिन्हें पहले ही अन्य मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का लाभ दिया जा चुका है, जिसका परिणाम प्रवेश परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर चार संबंधित कॉलेजों में इस न्यायालय के समक्ष छात्रों के आवंटन के कारण हुआ है। वैकल्पिक रूप से, अन्य कॉलेजों में अतिरिक्त सीटें बनानी पड़ सकती हैं जिन्हें वे बुनियादी ढांचे के मामले में सुसज्जित नहीं करेंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होकर हास्यास्पद परिणाम होंगे।

12. चूंकि मैंने पहले ही एमएआरबी क्षेत्राधिकार और/या किसी भी पूर्वव्यापी आदेश पारित करने के लिए शक्ति की कमी या कानूनी अक्षमता पर अपनी राय व्यक्त की है, इसलिए आरोपों और प्रत्यारोपों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना आवश्यक नहीं है, लेकिन चूंकि काफी समय इसे उजागर करने के लिए संबंधित वकीलों द्वारा अदालत में खर्च किया गया, मैं भी इससे निपटने का प्रयास कर सकता हूं। जैसा कि कहा गया है, एक बार जब विवादित आदेश अधिकार क्षेत्र क्षेत्र की कमी से पीड़ित होते हैं, तो उन्हें गैर-संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए, और इस प्रकार, उस संदर्भ में, आरोपों के गुण महत्वहीन होते हैं।हालाँकि, मामले को उस पर छोड़ने के परिणामस्वरूप बिना उचित दिमाग के एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जल्दबाजी में नए आदेश पारित किए जा सकते हैं। विशेष रूप से, जब एम. ए. आर. बी./एन. एम. सी. की ओर से विद्या सम्बन्धी वर्षों 2021-22 के दौरान छात्रों को प्रवेश देने से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, तो वे सबसे अधिक लापरवाह और

लापरवाह थे।बल्कि उन्होंने छात्रों की पूरी प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने और शैक्षणिक सत्र के बीच में होने के बाद ही इंतजार किया और कार्रवाई में जुट गए।

13. मैं जल्दबाजी में यह कहना चाहूंगा कि कॉलेजों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के साथ-साथ एससीएन के प्रारंभिक इरादे/विषय-वस्तु जैसी कमियों को ध्यान में रखते हुए, एम. ए. आर. बी. और एन. एम. सी. दोनों ने उचित दिमाग का उपयोग न करके इसे एक छोटा सा झटका दिया है। एस. सी. एन. में प्रस्तावित कदम अन्य बातों में, **"आयोग को कॉलेज पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए, एमबीबीएस की *150* से *250* सीटों के लिए दिए गए अनुमति पत्र को वापस क्यों नहीं लेना चाहिए, बढ़ी हुई एमबीबीएस की मान्यता के संचालन से क्यों रोका जाना चाहिए।**

"इसके बावजूद, कॉलेजों पर मौद्रिक दंड या किसी अन्य दंडात्मक उपाय का बोझ डालने के विकल्प पर विचार किए बिना, पीजी छात्रों के अलावा एमबीबीएस में 250 छात्रों के पूरे बैच (एससीएन के अनुसार 250-150 = 100 के बजाय) के प्रवेश को रद्द करने के लिए विवादित आदेश पारित किए गए हैं। कारणों की तलाश ज्यादा दूर नहीं है। जैसा कि याचिकाकर्ता-चिकित्सा महाविद्यालयों की ओर से जोरदार तर्क दिया गया था और बाद के आख्यान से उत्पन्न हुआ था, मालाफिडेस पर शासन नहीं किया जा सकता है।

13.1. ऐसा प्रतीत होता है कि एमएआरबी/एनएमसी के कमजोर बचाव तर्क में यह तर्क देने का कोई औचित्य नहीं है कि हालांकि उनके द्वारा बाद में किए गए कई औचक निरीक्षणों में, सभी कॉलेज उन्हें आवंटित छात्रों की संख्या को शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित पाए गए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। एक विशेष दिन यानी 22.04.2022, चूंकि कमियां थीं, इसलिए छात्रों का पूरा बैच कॉलेजों से बाहर निकाले जाने का हकदार है। उल्लेखनीय है कि डेढ़ महीने की छोटी अवधि के भीतर, विशेष रूप से 10 जून, 24 जून, 28 जून और 2 जुलाई 2022 को, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन. एम. सी.) ने स्नातकोत्तर सीटों की मान्यता बढ़ाने/ नवीनीकरण के उद्देश्य से कुल 18 आकस्मिक निरीक्षण किए।इन निरीक्षणों के दौरान, कॉलेज को वैधानिक मानदंडों का पूरी तरह से पालन करते हुए पाया गया।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाद के वर्षों के लिए, केवल तभी जब एम. ए. आर. बी./ एन. एम. सी. ने उन कॉलेजों को पूरी तरह से अनुपालन करते हुए पाया, सभी आपत्तियों को पूरा करते हुए और औचक निरीक्षण के दौरान इंगित सभी कमियों को पूरा करते हुए, कि उन्हें शैक्षणिक वर्षों यानी 2022-23 और 2023-24 के लिए छात्रों को प्रवेश देना जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता और/या

उत्तरदाताओं दोनों की ओर से, आज की स्थिति में यह किसी के लिए भी सच नहीं है कि मेडिकल कॉलेज सुसज्जित नहीं हैं।

13.2. एम. ए. आर. बी. ने 21 मार्च, 2022 को कॉलेज को एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया, जिसमें जुर्माना लगाने, एम. बी. बी. एस. की बढ़ी हुई सीटों के लिए अनुमति वापस लेने और उन बढ़ी हुई सीटों की मान्यता को रोकने सहित विभिन्न कार्यों को रेखांकित किया गया।कॉलेज को नोटिस में उल्लिखित कमियों को दूर करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था। याचिकाकर्ता-कॉलेज ने कारण बताएँ नोटिस का एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्टीकरण प्रदान किया गया और स्पष्टीकरण के लिए अनुपालन सत्यापन निरीक्षण या व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया गया।याचिकाकर्ता ने बिस्तर अधिभोग, संकाय सदस्यों की उपलब्धता और कोविड-19 स्थिति के प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर प्रकाश डाला।इन कारकों का महाविद्यालय की नियमों का पालन करने की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हालाँकि, एयू कॉन्ट्रायर, एमएआरबी ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत उत्तर पर ध्यान नहीं दिया।यह चिंता का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि एम. ए. आर. बी. ने कॉलेज के स्पष्टीकरणों और अनुपालन सत्यापन निरीक्षण या व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोधों का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया। एम. ए. आर. बी. द्वारा पारित विवादित आदेश में याचिकाकर्ता के जवाब पर असंतोष का कोई कारण नहीं बताया गया है।पारदर्शिता की इस तरह की कमी निर्णय लेने की प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में सवाल उठाती है। एम. ए. आर. बी. के आचरण पर निष्कर्ष निकालने के लिए, ऐसा लगता है कि इस मामले में एम. ए. आर. बी. के कार्यों की निष्पक्षता और वैधता के बारे में वैध चिंताएं हैं।

13.3. 18 अप्रैल, 2022 का आक्षेपित आदेश आत्म-विरोधाभासी तत्वों को प्रदर्शित करता है। एम. ए. आर. बी. कई उदाहरणों में नोट करता है कि याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण आश्वस्त करने वाले हैं, और फिर भी, साथ ही अस्वीकार्य हैं। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि स्पष्टीकरणों को ठोस होते हुए भी अंततः अस्वीकार्य कैसे माना जा सकता है। उदाहरणार्थ, कुछ अंश इस प्रकार हैं:

> “सुबह 11 बजे के बाद संकाय की उपलब्धता और उनके हस्ताक्षर पर मूल्यांकनकर्ताओं की आपत्ति का स्पष्टीकरण ठोस है और स्वीकार्य नहीं है। हम अनुपस्थित लोगों की किसी भी घोषणा को ध्यान में नहीं रखते हैं।

> "दिनांक 29-03-2022 को जारी हालिया प्रमाण पत्र और 31-03-2023 तक वैधता पर स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है और 24-02-2022 (31-01-2019 और 29-03-2022) के बीच) के मूल्यांकन के समय इस तरह के बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की एक बड़ी कमी है, कार्रवाई की जरूरत है। वार्डों में रोगियों की उपलब्धता का स्पष्टीकरण भोजन, जांच, फिजियोथेरेपी, सर्जरी, दंत जांच, पी. ए. सी., डिस्चार्ज प्रक्रिया के तहत, डेकेयर प्रक्रिया, आई. सी. यू., मूल्यांकनकर्ताओं के दौर के दौरान निजी कमरों के लिए दिया गया है **जो विश्वसनीय है और स्वीकार्य नहीं है।"** (जोर दिया गया)

इस प्रकार MARB एक ही समय में अनुमोदन और धारान कर रहा है, कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है।

13.4. हालांकि, विवादित आदेश में कहा गया है कि एम. ए. आर. बी. ने कॉलेजों को दी गई मान्यता को रद्द करने के लिए एन. एम. सी. की सिफारिश की है और एन. एम. सी. अधिनियम की धारा26 और 38 के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एम. ए. आर. बी. द्वारा की गई सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एन. एम. सी. द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। इतना ही नहीं, एन. एम. सी. ने वास्तव में कुछ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में वृद्धि की है और बाद के शैक्षणिक सत्र 2022-2023 और 2023-2024 के लिए भी अनुमति दी है।

13.5 शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन की अंतर्निहित जटिलता एक विचारशील और संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया की मांग करती है जो संस्थान, छात्रों और समुदाय पर इनकार के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखती है।कमियों को सुधारने के लिए अपर्याप्त समय, जैसे कि एक या दो सप्ताह से कम, देना प्रतिकूल हो सकता है। इनकार करने से पहले प्रभावी सुनवाई का अभाव नवीनीकरण प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बाधित करता है। समय पर सत्यापन और निरीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा कॉलेजों के पास कमियों को दूर करने और आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के पर्याप्त अवसर हैं। अनुमतियों के वार्षिक नवीनीकरण की अवधारणा का उद्देश्य ढांचागत और संकाय आवश्यकताओं की क्रमिक पूर्ति को सुविधाजनक बनाना है।इस मापा दृष्टिकोण को व्यवधान को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे संस्थान अनावश्यक व्यवधान पैदा किए बिना छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना विकसित हो सकते हैं और अनुकूलन कर सकते हैं।

## निष्कर्ष

14. यह मामला भारत में चिकित्सा शिक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों की बहुआयामी प्रकृति को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे हितधारक इस जटिल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समाधानों की तलाश करना अनिवार्य है जो मानकों को बनाए रखने और चिकित्सा प्रशिक्षण में समावेशिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ नियामक निकायों द्वारा शक्तियों के आह्वान के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखें। केवल सहयोगात्मक प्रयासों और सूक्ष्म दृष्टिकोणों द्वारा से ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और पहुंच के लक्ष्यों का प्रभावी ढंग से मिलान किया जा सकता है।

14.1. उपरोक्त संदर्भ में, इसलिए चिकित्सा मूल्यांकन और मूल्यांकन बोर्ड (एम. ए. आर. बी.) की शक्तियों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करना उचित होगा और यह सलाह दी जाती है कि यह इसके चारों कोनों के भीतर और जहां तक संभव हो उसी क्रम में कार्य करे, क्योंकि यह चिकित्सा संस्थान के लिए पर्याप्त सावधानी होगी कि आगे क्या होगा।समान रूप से नीचे दिए गए हैं:-

अधिनियम, 2019 की धारा 26 (1) (च) के तहत एम ए आर बी  की शक्तियां -

### (I) चेतावनी जारी करना:

एम. ए. आर. बी. को निर्धारित मानकों को बनाए रखने में विफल रहने वाले चिकित्सा संस्थानों को चेतावनी जारी करने का अधिकार है। चेतावनी गैर-अनुपालन के औपचारिक नोटिस के रूप में काम करती है और सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता का संकेत देती है।

### (II) मौद्रिक दंड का अधिरोपण:

लगातार गैर-अनुपालन या मानकों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में, एम. ए. आर. बी. के पास चिकित्सा संस्थानों पर मौद्रिक दंड लगाने का अधिकार है।मौद्रिक जुर्माना निवारक के रूप में कार्य करता है और कमियों को सुधारने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहित करता है।

### (III) सेवन कम करना

एम. ए. आर. बी. उन चिकित्सा संस्थानों की भविष्य की सेवन क्षमता को कम करने की सिफारिश कर सकता है जो लगातार न्यूनतम मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं। इस उपाय का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को सीमित करना है।

**(IV) प्रवेश पर रोकः**

यदि किसी संस्थान की मानकों को बनाए रखने में विफलता छात्र शिक्षा और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है, तो एम. ए. आर. बी. भविष्य में प्रवेश बंद करने की सिफारिश कर सकता है।यह चरम उपाय छात्रों की आमद को तब तक रोक देता है जब तक कि संस्थान पहचानी गई कमियों को दूर नहीं कर लेता।

**(V) मान्यता वापस लेने की अनुशंसाः**

ऐसे मामलों में जहां कोई संस्थान चेतावनी और दंड के बावजूद न्यूनतम मानकों का पालन करने में विफल रहता है, एम. ए. आर. बी. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन. एम. सी.) को मान्यता वापस लेने की सिफारिश कर सकता है।यह सिफारिश मान्यता और आधिकारिक मान्यता के नुकसान का संकेत देती है, जो संभावित रूप से संस्थान को बंद करने की ओर ले जाती है।

14.2. ऊपर उल्लिखित उपाय, चेतावनियों से लेकर मान्यता वापस लेने तक, केवल चिकित्सा संस्थानों के बीच गैर-अनुपालन को संबोधित करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा प्रदान करने का प्रयास है। उन्हें प्रत्येक कमी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए ताकि देश भर में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा के वितरण को सुनिश्चित करने में निरंतर सुधार लाया जा सके।

15. उत्कृष्टता की खोज और मानकों का पालन अक्सर इच्छुक चिकित्सा पेशेवरों के लिए पहुंच और अवसर सुनिश्चित करने की अनिवार्यता से टकराता है। इस तनाव को विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की प्रवेश नीतियों के आसपास की कानूनी गाथा में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जैसा कि यहां मामले में और चिकित्सा मूल्यांकन और मूल्यांकन बोर्ड (एम. ए. आर. बी.) द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ आगामी लड़ाई में देखा गया है।

मानकों और जवाबदेही के महत्व को पहचानते हुए, इस न्यायालय को छात्रों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की आवश्यकता से भी अवगत रहना चाहिए।

**राहत**

16. उपरोक्त चर्चा और निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्धी हितों का मिलान करते हुए, साथ ही न्याय और समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9625/2022 को छोड़कर, रिट याचिकाओं के तत्काल समूह का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता हैः-

16.1. वर्तमान रिट कार्यवाही में पारित विभिन्न अंतरिम आदेश, विशेष रूप से, पूर्ववर्ती भाग में उल्लिखित तालिका में उल्लिखित 28.04.2022 और 21.09.2022 दिनांकित आदेशों को निरपेक्ष बनाया जाता है, जिसके आत्यन्तिक परिणाम आने चाहिए।

16.2. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6068,6069,6349 और 9364 में हमला करने वाले सभी चार कॉलेजों यानी गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अनंत चैरिटेबल एजुकेशनल सोसाइटी, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और अमेरिकन इंटरनेशनल मैनेजमेंट लिमिटेड के संबंध में एम. ए. आर. बी. द्वारा पारित दिनांक 18.04.2022 और 14.04.2022 के विवादित आदेश, पहले से ही दिए गए प्रवेश को पूर्वव्यापी रूप से रद्द करने की सीमा तक, रद्द कर दिए जाते हैं।

16.3. दिनांक 11.05.2022 (निर्णय के पैरा-7 में निर्दिष्ट) के निर्णय के अनुसार, जिन छात्रों को अन्य कॉलेजों में समायोजित किया गया है, वे उन्हीं कॉलेजों में पढ़ना जारी रखेंगे और उन्हें आवंटित कॉलेजों में उनके भविष्य में जारी रहने में कोई बाधा नहीं होगी।

16.4. यदि वह ऐसा चाहता है, तो एन. एम. सी. को कानून के अनुसार, विवादित आदेशों में की गई एम. ए. आर. बी. की सिफारिशों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है।

16.5. यदि एम. ए. आर. बी./एन. एम. सी. बाद में किसी भी तरह से मेडिकल कॉलेजों की कमी पाता है, तो वे कानून के अनुसार गलती करने वाले मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।अंतरिम आदेश को आत्यन्तिक बनाना किसी भी मेडिकल कॉलेज द्वारा भविष्य के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए किसी भी ढाल के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि एम. ए. आर. बी./ एन. एम. सी. की ओर से छात्रों के हित में बेहतर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए इसे जारी करने की आवश्यकता होती है।

17. जहां तक एसबीसीडब्ल्यू संख्या 9625/2022 का संबंध है, याचिकाकर्ता कॉलेज ने प्रतिवादियों के खिलाफ शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की है, ऐसा लगता है कि इसे निष्फल कर दिया गया है और तदनुसार इसका निपटारा किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ताकर्ता भविष्य में प्रवेश अनुमति के लिए एम. ए. आर. बी./एन. एम. सी. से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

18. उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारण किया गया।सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।

**(अरुण मोंगा), न्यायाधीश**

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।